न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 26/10 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2010/00021

उनवान

1. रामसरन
2. तेज सिंह

पुत्रान जोरावर जाति जाट निवासी महलोनी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रघुवीर
2. पूरन

पुत्रान मूली पुत्र जोरावर जाति जाट निवासी महलोनी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना दि0 22.07.2010 प्र.सं. 138/09 उनवानी रामसरन बनाम रघुवीर

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेन्ट श्री महाराज सिंह डागुर ।

निर्णय दिनांक–10.08.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 22.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2010 से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया विवादित आराजी पक्षकारो के पूर्वज स्व0 जोरावर की खातेदारी की भूमि है तथा उनके पास उनके तीन पुत्र अपीलांट एवं रैस्पो0 के पिता मूली के पास से विरासत में प्राप्त हुयी है। पिता जोरावर की मृत्यु के बाद भूमि

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अकेले बडे भाई स्व0 श्री मूली उर्फ मुरली के नाम सबसे बडे भाई एवं कर्ता खानदान होने के कारण हो गयी है। उसका अपीलाण्ट के हको पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा मूली के नाम खातेदारी हो जाने से अपीलांट के विरासत के मूलभूत खातेदारी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपील द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2015 का कतई अवलोकन नहीं किया। जिससे सम्पूर्ण भूमि में जोरावर खुदकाश्त दर्ज है। विवाद जब परिवार के सदस्यों के बीच मे होता है तौ मौजूदा राजस्व रिकार्ड एक व्यक्ति के नाम हो जाने पर भी उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले की वास्तविक स्थिति को जाने बिना सरसरी निगाह से मात्र हाल की जमाबन्दी देखकर पूर्व की जमाबन्दी को नजरअदांज करते हुये अपीलाण्ट के क्लेम की तरफ कोई ध्यान नहीं देकर अवैधानिक आदेश कर दिया। विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो रिकार्ड से बखूबी प्रमाणित है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं व मौके पर काबिज हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1994 पेज 227 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे विवादित आराजी पैतृक आराजी सिद्ध होती हो। विवादित भूमि रैस्पो0 को कैसे आयी यह तथ्य अपीलाण्ट को ही सिद्ध करना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो विवादित आराजी पर अपना कब्ज सिद्ध किया एवं ना ही विवादित आराजी को पैतृक ही सिद्ध किया। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018 पेज 633 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को जमाबन्दी संवत 2011 व 2015 में जोरावर की खुदकाश्त में होना कथन करते हुये, विवादित आराजी में उनके वारिसो के खातेदारी अधिकार बताते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त जमाबन्दीयों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विवादित आराजी जोरावर की खुदकाश्त में होना तो जाहिर होता है। परन्तु अपीलाण्ट ने विवादित आराजी से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही विवादित आराजी बाबत् मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत किया है। जिससे प्रकरण के तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपना कथित कब्जा भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी स्थिति में हम एक रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 22.07.2010 यथावत रखें जातें हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील **प्राधिकारी**
भरतपुर